

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2019/ दिनांक :

आदेश

श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर जिनकी जन्म तिथि 10.09.1961 है, की राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 12.10.2018 को मृत्यु हो चुकी है, का नाम दिनांक 12.10.2018 को राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/राज्य सेवा से पृथक/2019/413

दिनांक : 06/02/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर को भेजकर लेख है कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी/एमएस/एफ-2199/2018/40 दिनांक 08.01.2019 के द्वारा स्व0 श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक, जोन-जोधपुर के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण को समाप्त (ड्रॉप) किया जा चुका है। अतः आक्षेपित राशि 6792/-रु. की वसूली कार्मिक को देय पेंशन परिलाभ से करें।
3. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
4. स्व0 श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक के परिवारजन को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर